

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ ।

संख्या-397-पी०एण्डआर०-28/पाकालि/2009-60पी०एण्डआर/98

दिनांक: 02 मार्च, 2009

कार्यालय ज्ञाप


विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवम् वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उ०प्र० शासन की अनुरूपता में पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवम् राशिकरण का पुनरीक्षण अनुमन्य कराया जाना।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कारपोरेशन ने उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवम् वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त/मृत कार्मिकों एवम् दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को छठे वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवम् राशिकरण, मंहगाई राहत तथा निशक्तता पेंशनरो को परिचर भत्ता अनुमन्य कराने हेतु क्रमशः उत्तर प्रदेश शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008, कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1515 /दस-2008 -308-97, दिनांक 8 दिसम्बर, 2008, कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-जीआई-28-दस-2008, दिनांक 06.01.09 द्वारा निर्गत शुद्धिपत्र, कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1516/दस-2008-308-97, दिनांक 08.12.2008, एवम् संख्या सा०-3-1517/दस-2008-308-97, दिनांक 10.02.2008 (प्रतिलिपि संलग्न) को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अंगीकृत करने का निर्णय लिया है:-

1. संगत शासनादेशों में प्रयुक्त उद्बोधनों यथा "राज्य सरकार" "सरकारी सेवकों", "राज्य कर्मचारियों", "सरकारी सेवक" तथा "सरकारी कार्मिकों" आदि को क्रमशः "उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०", "कारपोरेशन सेवकों", "कारपोरेशन के कर्मचारियों", "कारपोरेशन सेवक" तथा "कारपोरेशन के कार्मिकों" के सन्दर्भ में समझा जायेगा ।
2. संगत शासनादेशों में पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवम् राशिकरण के प्रश्नगत पुनरीक्षण को लागू किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु इंगित अधिकारियों/इकाइयों के नाम के स्थान पर कारपोरेशन के संगत अधिकारियों/इकाइयों का उल्लेख किया गया समझा जायेगा।
3. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, वितरण कम्पनियों तथा उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान तथा अवशेष के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

(क) पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का नकद भुगतान माह अप्रैल, 2009 भुगतान माह मई, 2009 से प्रारम्भ कराया जाय ;

(ख) पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया सेवारत कार्मिकों के सम्बन्ध में निर्गत वेतन पुनरीक्षण आदेश संख्या 175-काविनी एवं



...2/-

वे0प्र0-29/पाकालि/09-17-काविनी एवं वे0प्र0-08, दिनांक 19 फरवरी, 2009 के प्राविधान के अनुरूप अर्थात् अवशेषों का भुगतान निम्नवत् किया जाय:-

वेतन माह	वित्तीय वर्ष	आहरण का माह
जनवरी 2006 से मार्च 2006	2010-11	अक्टूबर 2010
अप्रैल 2006 से मार्च 2007	2011-12	अक्टूबर 2011
अप्रैल 2007 से मार्च 2008	2012-13	अक्टूबर 2012
अप्रैल 2008 से मार्च 2009	2013-14	अक्टूबर 2013

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाएँ शासनादेशों के अनुरूप होंगी ।

उपरोक्त आदेश कारपोरेशन के निदेशक मण्डल के कार्यात्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में निर्गत किये जा रहे हैं ।

संलग्नक : यथोक्त ।


निदेशक (का0प्र0 एवम प्रशा0)

संख्या:-397-पीएण्डआर/28/पाकालि/2009-60-पी0एण्डआर0/98, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 अध्यक्ष, एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के निजी सचिव ।
- 2 अध्यक्ष, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0/उ0प्र0ज0वि0नि0लि0 लखनऊ ।
- 3 अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के निजी सचिव ।
- 4 प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर/ट्रांस्को ।
- 5 समस्त निदेशक उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के निजी सचिव ।
- 6 अपर सचिव-1/2, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
- 7 समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ट्रांस्को ।
- 8 पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
- 9 मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ ।
- 10 समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ।
- 11 समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ।
- 12 वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
- 13 सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 14 अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103-कीर्ति शिखर आर्टमेन्ट, छितवानुर भुइयन, 12-आफ स्टेशन रोड़, लखनऊ ।
- 15 अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू0पी0, पेंशनर्स एसोसिएशन, 18-बी, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ ।
- 16 जोनल मैनेजर, जोनल आफिस, पंजाब नेशनल बैंक,, लखनऊ/आगरा/मेरठ ।
- 17 अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, की वेब साइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,


(रज्जन लाल)

अपर सचिव (आरजपत्रित)

